राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राज भवन, पटना–800 022

प्रथम अपील वाद संख्या–126 (प्र.अ.प्रा.)/2024–25

डॉ० मो० परवेज हाशमी, इकबाल हसन रोड़, ब्रहम्पुरा, पो०–एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर–842 003

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19(1) के अधीन)

क्रम संख्या एवं दिनांक	**आदेश**	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी–दिनांक संहित
01 10.03.2025	अपीलांट के **दिनांक–11.02.25** के प्रथम अपील आवेदन एवं उसके साथ संलग्न उनके **दिनांक–20.09.2024** के मूल सूचनावेदन (**प्रपत्र 'क'**) की प्रति संलग्न करते हुए लोक सूचना पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि अपीलांट के मूल सूचनावेदन के माध्यम में माँगी गयी सूचना के संबंध में एक तथ्यात्मक एवं आत्म–भारित प्रतिवेदन इस आदेश की प्राप्ति के पाँच कार्यदिवसों के अंन्दर अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जाये जिसमें इस तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो कि माँगी गई सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गयी है अथवा नहीं। यदि माँगी गई सूचना अभी तक नहीं उपलब्ध करायी गई है, तो अधिनयम की धारा–8, 9, 10 एवं 11 के अध्याधीन माँगी गयी सूचना अविलम्ब अपीलांट को स्पीड–पोस्ट द्वारा प्रेषित की जाये। 2. इस आदेश के अनुपालन मे लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना से यदि अपीलांट संतुष्ट नहीं हों, तो अगले पाँच कार्यदिवसों के अंन्दर वे अपना पक्ष लिखित तौर पर उन कारणों/आधारों का उल्लेख करते हुए प्रेषित करें कि वे किस कारण से/आधार पर लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दी गयी सूचना से असंतुष्ट हैं और ऐसी स्थिति में वे स्वयं, अथवा अपने विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, जिनका पंजीकृत विधिक पेशेवर होना आवश्यक नही है, **दिनांक–18.03.2025** को **अपराह्न 12:30 बजे** प्रस्तुत प्रथम अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित हो सकते हैं। 3. अपीलांट के उपस्थित नहीं होने पर यह धारणा ली जायेगी कि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा इस आदेश के अनुपालन में प्रेषित सूचना से अपीलांट संतुष्ट हैं और तदनुरूप अभिलेख में उपलब्ध कागजातों एवं गुणागुण के आधार पर प्रस्तुत प्रथम अपील को निर्णीत किया जायेगा।	

राज्यपाल सचिवालय, बिहार
राज भवन, पटना–800 022

4. सुनवाई हेतु उपस्थित होने की स्थिति में अपीलांट इस आदेश की प्रति तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत कोई विधिमान्य फोटोयुक्त मूल पहचान–पत्र अपने साथ अवश्य लेकर आयेंगे ताकि राज भवन के स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें राज भवन परिसर स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय–कक्ष में प्रवेश देने हेतु राज भवन के सुरक्षा प्रभारी से अनुरोध किया जा सके।

5. अपीलांट द्वारा प्रथम अपील आवेदन शुल्क के रूप में प्रेषित भा. पो. ऑ. (**संख्या–25G 579772**) की मूल प्रति लेखा पदाधिकारी को हस्तगत कराई जाये जिनके द्वारा विहित प्रक्रियानुसार पूर्वोक्त इंस्ट्रूमेंट को राज्य सरकार के उपयुक्त प्राप्ति शीर्ष में जमा कराने की कार्रवाई की जायेगी।

ह./–
(संजय कुमार मिश्र)
अवर सचिव (विधायी)–सह–प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

ज्ञापांक–126 (प्र.अ.प्रा.)/2024–25– 608 (रा.स.)/पटना दिनांक–**10** मार्च, 2025

प्रतिलिपि:

1. **लोक सूचना पदाधिकारी**, राज्यपाल सचिवालय, बिहार पटना (**पत्र–वितरण पंजी के माध्यम से**),
2. **लेखा पदाधिकारी**, राज्यपाल सचिवालय, बिहार पटना को भा.पो.ऑ. (**संख्या–25G 579772**) की मूल प्रति के साथ (**पत्र–वितरण पंजी के माध्यम से**),
3. **डॉ० मो० परवेज हाशमी,** इकबाल हसन रोड, ब्रहम्पुरा, पो०–एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर–842003। (**स्पीड–पोस्ट से**),
4. **सुरक्षा प्रभारी**, राजभवन, बिहार, पटना (**पत्र–वितरण पंजी के माध्यम से**) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, और
5. **आई.टी. प्रबंधक,** राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना (**पत्र–वितरण पंजी के माध्यम से**) को राज भवन के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10.03.25
अवर सचिव (विधायी)–सह–प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राज भवन, पटना-800 022

प्रथम अपील वाद संख्या-126 (प्र.अ.प्रा.)/2024-25

डॉ. मो. परवेज़ हाश्मी, इक़बाल हसन रोड, ब्रह्मपुरा, पोस्ट-एम.आई.टी., जिला-मुज़फ्फरपुर, पिन-**842 003**

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-19 (1) के अधीन)

आदेश

ज्ञापांक-608 दिनांक-12.03.25 के गत आदेश के आलोक में इस लोक प्राधिकार के लोक सूचना पदाधिकारी, श्री कमलेश प्रसाद सिन्हा एवं अपीलांट उपस्थित हैं।

2. सुनवाई के प्रारंभ में पूछे जाने पर अपीलांट द्वारा लोक सूचना पदाधिकारी के पत्रांक-244 दिनांक-04.10.24 एवं उसके साथ संलग्न राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक-1542 दिनांक-13.09.24 के पूर्व में ही उन्हें प्राप्त होने के तथ्य को स्वीकार किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि उनकी सूचना की माँग पूर्ण हो चुकी है।

3. सुनवाई के दौरान अपीलांट द्वारा अपने मूल परिवाद-पत्र (जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा कृत कार्रवाई की सूचना माँगी गयी है) पर कार्रवाई किये जाने का अनुरोध किया गया, परन्तु ऐसा किया जाना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अनुमान्य नहीं है।

4. अपीलांट द्वारा पत्रांक-1542 दिनांक-13.09.24 (जिसके माध्यम से उनके मूल परिवाद-पत्र को सम्बंधित विश्विद्यालय के पदाधिकारियों को नियमानुकूल कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया गया था) के सम्बन्ध में सम्बंधित विश्विद्यालय के पदाधिकारियों को स्मारित भी किये जाने का इस तर्क के आधार पर अनुरोध किया गया कि किसी भी विश्विद्यालय के पदाधिकारी द्वारा राज्यपाल सचिवालय के पत्र का लम्बे समय तक प्रत्युत्तर नहीं दिए जाने से राज्यपाल सचिवालय की गरिमा पर आँच आती है और इस तथ्य को राज्यपाल सचिवालय के वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।

5. उपर्युक्त के आलोक में प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन को निष्पादित किया जाता है।

ह./-

(संजय कुमार मिश्र)

अवर सचिव (विधायी)-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

ज्ञापांक-126 (प्र.अ.प्रा.)/2024-25- 611 (रा.स.)/पटना, दिनांक- 18 मार्च, 2025

1. **लोक सूचना पदाधिकारी**, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना (**पत्र-वितरण पंजी के माध्यम से**); एवं
2. **डॉ. मो. परवेज़ हाश्मी**, इक़बाल हसन रोड, ब्रह्मपुरा, पोस्ट-एम.आई.टी., जिला-मुज़फ्फरपुर, पिन-842 003 (**स्पीड-पोस्ट से**) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
3. **आई.टी. प्रबंधक**, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना (**पत्र-वितरण पंजी के माध्यम से**) को राज भवन के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18.03.24

अवर सचिव (विधायी)-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकारी सचिव